कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऍं, धमतरी, जिला–धमतरी, छ0ग0

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत विभागीय जानकारी :–

बिन्दु क्रमांक 01 :–

01. कार्य एंव कर्तव्य :–

सहकारिता के लोगों के सामाजिक एंव आर्थिक उत्थान करने एंव शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिये मतान्यता दी गई है । आधुनिक परिवेश में परिवर्तन और विकास के दौर में सहकारी संस्थाऍं विश्वसनीय माध्यम बनी है । सहकारी विधान को नया रूप प्रदान करने की दिशा में पहल हो चुकी है ताकि सहकारिता नया आर्थिक सामाजिक संदर्भो में अपनी भूमिका अधिक जवाबदारी एंव क्षमता से निभा सके सहकारिता विभाग इस परिप्रेक्ष्य में भिन्न दार्शनिक एंव मार्गदर्शक के रूप में होगी ताकि सहकारिताओं और उनसे जुड़े किसान, मजदूर, बुनकर, मछुवारे, अनुसूचित जाति, जन जाति पिछड़े वर्गो एंव विशेशतः महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान दिया जा सके ।

पर्यवेक्षक एंव नियामक के रूप में विभाग का उत्तरदायित्व सहकारी संस्थाओं के संगठन, पंजीयन, पर्यवेशण, अंकेक्षण, निरीक्षण कर उनकी आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण का है । जिले में लगभग 199 सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्पकालीन, कृषि ऋण, खाद, उन्नत बीज एंव कृषि आदान, सहकारी साख, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवास, मत्स्य, डेयरी, वनोपज, बनुकर, खनिज, एंव आद्योगिक गतिविधियों का संचालन होता है ।

01– संस्थाओं का पंजीयन एंव नियंत्रण :–

उप पंजीयक कार्यालय में जिले स्तर की सहकारी संस्थाओं का पंजीयन छ0ग0 सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 9 में दिये प्रावधान के अन्तर्गत किया जाता है । बीस या इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में सहकारी संस्थाओं के पंजीयन बाबत् आवेदन किये जाने पर आवेदन पत्र का सुक्ष्म परीक्षण कर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर पंजीयन किया जाता है । संस्था का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धान्त के आधार पर अपने सदस्यों के आर्थिक विकास के साथ सर्वांगिंन विकास होना आवश्यक है ।

02– अधिनियम एंव नियम :–

सहकारी सोसायटियों के परिवेक्षण एंव परिसंचालन हेतु निम्नानुसार अधिनियम एंव नियम प्रभावशील है :–

01. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम – 1960.
02. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम – 1962.
03. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम – 1999.

क्रमशः–02

02– निर्वाचन :–

01– पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन छ0ग0 सोसायटी अधिनियम 1960, सहकारी सोसायटी नियम 1962, संस्था का उप नियम के प्रावधानों एंव पंजीयक द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एंव निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जाता है ।

02– स्वायत्त सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन संस्था द्वारा कराया जाता है ।

03– अंकेक्षण से संबंधित कार्य :–

01– जिले स्तर की सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण आंबटन हेतु आंबटन प्रस्ताव (जिला सहकारी कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक, विपणन सहकारी समितियों एंव गृह निर्माण समितियों) पंजीयक सहकारी संस्थाएॅं, छ0ग0 रायपुर को प्रेषित करना । पंजीयक द्वारा जारी सहकारी संस्थाओं के आंबटन आदेश द्वारा अंकेक्षण कार्य संपादित कराना,अंकेक्षण टीप पारित करना एंव अंकेक्षण भुल्क वसूली, अंकेक्षण आपत्तियों के पालन प्रतिवेदन पर कार्यवाही करना है ।

02– सहकारी संस्थाओं का समय पर अंकेक्षण करने, करवाने हेतु निरीक्षण/परिवेक्षण एंव अंकेक्षकों पर नियंत्रण हेतु संस्थाओं का समय–समय पर भेंट दिया जाता है ।

03– छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम एंव नियम एंव समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुरूप अंकेक्षण कार्य संपन्न कराया जाता है ।

04– स्वायत्त सहकारी सोसायटी अधिनियम 1999 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं का अंकेक्षण संस्था स्वंय कराती है तथा अपनी आमसभा में प्रस्तुत करती है ।

04– विधि (सहकारिता न्यायालय):–

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत उप पंजीयक एंव सहायक पंजीयक की नियुक्ति की गई है । उप पंजीयक एंव सहायक पंजीयक को मूल वाद सुनने का अधिकार है । सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 एंव स्वायत्त सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाता है ।

05– विपणन :–

01. विपणन शाखा के तहत् प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाओं, छ0ग0 राज्य विपणन संघ के द्वारा किये जाने वाले कार्यो के संबंध में पंजीकृत उपविधि के प्रावधान के अनुसार संस्था के कार्यों एंव दायित्वों का सफल संचालन हेतु परिपत्र एंव दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य संपादित किया जाता है ।

क्रमश :–3

02. छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ, सहकारी समितियों के माध्यम से खाद, बीज आदि

की आपूर्ति के लिये एजेंसी के रूप में कार्य करती है । विपणन संघ उर्वरक कम्पनियों से खाद, बीज आपूर्ति कर्ताओं से प्राप्त कर सहकारिता के क्षेत्र में खाद बीज की मांग की पूर्ति प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृशको को उपलब्ध कराया जाता है । इस हेतु विपणन संघ द्वारा डबल लॉक केन्द्रों पर उर्वरक एंव बीज का भण्डारण किया जाता है । जिसे कृषकों के मांग पर प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाता है.

03. कृशकों की मांग पर खाद/बीज की पूर्ति समय–समय पर की जाती है ।

04. इसके साथ ही विपणन संध राज्य शासन के निर्देशानुसार अभिकर्ता के रूप में प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन करता है ।

05. प्राथमिक विपणन समितियॉं भी अपने सदस्यों एंव कृषकों को उपविधि के प्रावधानों के अनुरूप खाद, बीज एंव कृषि यंत्र की आपूर्ति का कार्य करती है ।

06. प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार द्वारा सस्ती एंव उचित दरों पर जन सामान्य को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराती है ।

06– साख :–

01. संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, स्टापिंग पैटर्न , वेतन निर्धारण आदि सहकारिता अधिनियम एंव संस्थाओं की उप विधि के अनुसार किया जाता है ।

02. जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक, नागरिक सहकारी बैंक, विपणन समितियों एंव प्राथमिक सहकारी समितियों के द्वारा प्रेशित सेवा नियम के संबंध में कार्यवाही हेतु पंजीयक महोदय को प्रेषित किया जाता है ।

07– बजट :–

01. कार्यालय हेतु बजट प्रस्ताव तेयार कर पंजीयक महोदय को प्रेषित करना ।
02. आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान हेतु अनुपूरक प्रस्ताव नवीन मद हेतु प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को प्रस्तुत करना ।

08– योजना :–

01. विभिन्न सहकारी संस्थाओं को प्रदत्त अंशपूंजी ऋण एंव ब्याज की वसूली करना ।
02. राज्य शासन द्वारा पदत्त विभिन्न सहकारी संस्थाओं को सहायता के रूप में ऋण अंशपूंजी में धनवेष्ठन बैंकों में विभिन्न प्रकार के योजनाओं का कृषकों को ऋण देने की सुविधाओं/विपणन समितियों में अंशपूंजी, अनुदान प्राथमिक सहकारी समितियों की कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान एंव उपभोग ऋणों के संबंध में कृषकों को सुविधा मोहैया कराने हेतु कार्यवाही किया जाना ।
03. आदिवासी उपयोजनान्तर्गत आनेवाली समितियों को प्रबंधकीय अनुदान, ब्याज अनुदान, अंशपूंजी अनुदान इत्यादि । विशेष घटक योजनान्तर्गत सहकारी संस्थाओं से ब्याज अनुदान अंशपूंजी अनुदान का प्रस्ताव प्राप्त कर मुख्यालय को प्रेषित करना ।

कमशः–04

09— विविध :—

विविध अन्तर्गत, वनोपज, मत्स्य, सेरीकल्चर, औद्योगिक, हाथकरघा बुनकर, गृहनिर्माण से संबंधित सहकारी संस्थाओं के कार्यो की देखरेख एंव उनसे संबंधित आवश्यक संशोधन संस्थाओं से संबंधित शिकायतों का निराकरण करना ।

10— स्थापना :—

01. उप पंजीयक कार्यालय में सहायक पंजीयक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की जानकारी सहायक पंजीयक, (प्रशासन) सहायक पंजीयक (अंकेक्षण वर्ग के कार्यपालन अंकेक्षण अधिकारी, वरिश्ठ सहकारी निरीक्षक एंव उप अंकेक्षण) एंव लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत है । (तत्संबंधी जानकारी संलग्न है)

02. सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाओं द्वारा विभागीय कर्मचारियों एंव अधिकारियों की मांग पर प्राप्त आवेदन कार्यवाही हेतु पंजीयक महोदय को प्रेषित करना ।

11— लेखा एंव देयक :—

01. उप पंजीयक / सहायक पंजीयक कायालय का आहरण एंव संवितरण का अधिकार अपर पंजीयक द्वारा छ0ग0 कोश संहिता 125 के अन्तर्गत सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऍ को आहरण / संवितरण का अधिकार प्रत्यारोपित किया गया है । जिसके तहत् जिला स्तर पर आहरित देयकों का आहरण किया जाता है ।

02. छ0ग0 बुक ऑफ फाइनेनशियल पावर 1995 वाल्यूम भाग एक के अनुसार राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर उप पंजीयक, सहायक पंजीयक (प्रशासन) को आहरण / संवितरण के अधिकार के तहत् किया जाता है ।

03. लेखा देयक कक्ष द्वारा अधिकारियों के एंव कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 एंव जी0आई0एस0 के खातों का संद्यारण करना । एंव प्रतिमाह मासिक आय व्यय पत्रक बजट कक्ष को उपलब्ध कराना ।

04. जिले के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभागीय भविश्य निधि की जानकारी प्रत्येक वर्ष महालेखाकार को प्रेषित करना ।
05. समस्त अधिकारियों एंव कर्मचारियों का जी0पी0एफ0 / जी0आई0एस0 प्रकरण के स्वीकृति उपरान्त आहरण कार्यालय से किया जाना ।

विभाग के उत्तरदायित्व :—

सहकारिता विधा के अन्तर्गत प्रशासनिक दृष्टि से विभाग का मुख्य दायित्व छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को सूचारू संचालन, गठन,निरीक्षण, अंकेक्षण एंव शासकीय नीतियों का क्रियान्वयन / छ0ग0 स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं के पंजीयन की कार्यवाही एंव उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना ।

क्रमशः—05

बिन्दु कमांक 02 :—

01.अधिकारियों एंव कर्मचारियों की शक्तियॉ एंव कर्तव्य :—

पंजीयक सहकारी संस्थाऍ, छ0ग0 रायपुर के अधिनस्थ समस्त जिले के अधिकारियों/ कर्मचारियो का विभागीय सेटऍप स्वीकृत है ।
परिशिष्ठ—अ जिले में स्वीकृत सेटअप संलग्न है । सहकारिता विभाग मे कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी राज्य संवर्ग के है तथा चतुर्थ वर्ग जिला संवर्ग के है ।

सहकारिता विभाग के अधिनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों का प्रशासकीय नियंत्रण, अधिकारी पंजीयक सहकारी संस्थाऍ, छत्तीसगढ़ है । अधिकारियों एंव कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रशासकीय विभाग/पंजीयक, सहकारी संस्थाऍ /जिला अधिकारियों द्वारा छ0ग0 सिविल सेवा नियम 1961 (छ0ग0 सिविल सेवा वर्गीयकरण नियंत्रण एंव अपील) 1966 छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 छ0ग0 अवकाश नियम 1977 निहित प्रावधानों एंव समय—समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप शास्ति अधिरोपण :—

01— प्रथम एंव द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित प्रकरणों में — प्रशासकीय विभाग.
02— तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी के (अराजपत्रित) प्रकरणों में— विभागाध्यक्ष.
03— चतुर्थ श्रेणी जिला संवर्ग के प्रकरणों में — जिला अधिकारी

02. छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 के अन्तर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाऍ, को प्राप्त अधिकार एंव प्राप्त शक्तियॉ :—

01— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 के अन्तर्गत पंजयक को विभिन्न अधिकार प्रदत्त है । पंजीयक के अधिकार शासन द्वारा अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक तथा सहायक पंजीयक को प्रत्यायोजित किये गये है ।

02— सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाओं के कार्य की देखरेख, आय व्यय का लेखा—जोखा का परीक्षण एंव अंकेक्षण हेतु पंजीयक की सहायता के लिये अंकेक्षण बोर्ड का गठन किया गया है । जिसमें सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) अंकेक्षण अधिकारी, वरिश्ठ सहकारी निरीक्षक एंव उप अंकेक्षक के पद स्वीकृत है जो सहकारिता अधिनियम तथा पंजीयक द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत अंकेक्षण पूर्ण करने की कार्यवाही करते हैं ।

कमश—06

बिन्दु कमांक—03 :—

निर्णय प्रकिया में उपयोग में लायी जाने वाली कार्य इसमें सनियंत्रण एंव जवाबदेही की व्यवस्था :—

01— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एंव नियम 1962 के अन्तर्गत पंजीयक को अधिकार प्रदत्त है एंव पंजीयक के अधिकार भाासन द्वारा अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक तथा सहायक पंजीयक को प्रत्यायोजित किया गया है ।

02— कार्यालय द्वारा छ0ग0 के अन्तर्गत निर्णय प्रकिया में उपयोग में लाई जाने वाली कार्य—प्रणाली छ0ग0 शासन द्वारा निर्मित नियमों के आधीन ही किया जाता है ।

03— छ0ग0 सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील) छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम छ0ग0 अवका ा नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है ।

04— छ0ग0 वित्तीय अधिकारी पुस्तिका में प्रदत्त अधिकार के अनुसार वित्तीय प्रकरणों/सामान्य भविष्य निधि नियम तथा छ0ग0 भण्डारण कय नियमों का पालन करते हुये कार्यवाही निष्पादित किया जाता है ।

05— इस जिले में उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ स्तर के अधिकारी कार्यरत है इसके अधिनस्थ सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) स्तर के अधिकारी भी कार्यरत है ।

बिन्दु कमांक — 04 :—

कार्य करने की निहित मापदण्ड :—

01. पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, छ0ग0 के अधिनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु जारी उत्तरदायित्व एंव कार्य निर्देशिका पूर्व में बिन्दु कमांक—2 के अनुकमांक—3 में उल्लेखित अनुरूप ही कार्य करने का निहित मापदण्ड है ।
02. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 संस्थाओं की उपविधियों एंव सेवा नियम के अन्तर्गत कार्य संचालन का मापदण्ड निहित है ।

बिन्दु कमांक—05 :—

विभाग द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले नियमों, आदेशों, अभिलेखों, अधिनियमों, संहिताओं का तुरन्त उपलब्ध कराने हेतु तैयार करना :—

01. पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 छ0ग0 सहकारी सोसायटी नियम 1962 सहकारी संस्थाओं में लागू पंजीकृत उपविधि एंव संवा नियम छ0ग0 शासन द्वारा जारी नियम/निर्देश तथा पंजीयक छ0ग0 रायपुर एंव उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, धमतरी द्वारा अधिनस्थ कार्यालयों सहकारी संस्थाओं के लिये जारी निदेश कार्यालय में उपलब्ध है ।
02. विपणन सहकारी समिति गृह निर्माण सहकारी समिति, एंव प्राथमिक सहकारी समितियों के वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध हैं ।

कमशः—07

बिन्दु कमांक — 06 :—

कार्यालय में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के अभिलेखो की जानकारी :—

उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऍ, धमतरी में कार्य विभाजन एंव कार्य संपादन संबंधी दिशा—निर्देश अभिलेख का कक्षवार विभाजन निम्नानुसार है :—

01. सामान्य कक्ष.
02. विधानसभा / मासिक बैंठक.
03. विपणन, परिसमापन,असाख, वनोपज, वसूली अधिकारी.
04. गृह निर्माण, निर्वाचन, सांख्यिकी.
05. शिकायत, साख,एंव सार्वजनिक वितरण प्रणाली.
06. स्थापना, लेखा क्षतिपूर्ति.
07. योजना, लेखा, पंजीयन.
08. विधि, आवज / जावक
09. आवार्ड पंजीयन.
10. अंकेक्षण कक्ष.

उपरोक्त कक्षों द्वारा संद्यारित नस्तियों / अभिलेखों का विवरण (**परिशिष्ठ—ब)** में संलग्न है ।

बिन्दु कमांक—07 :—

निर्णय लेने की प्रकिया में सर्व साधारण जनता से सलाह मशविरा कराने की कोई व्यवस्था हो तो उसका उल्लेख :—

— इस विभाग के अन्तर्गत ऐसी कोई भी व्यवस्था नही है ।

बिन्दु कमांक—08 :—

कांउॅन्सिलिंग, बोर्ड, समिति या अन्य कोई व्यवस्था जिमें दो से अधिक सदस्य हो उल्लेख :—

01. सहकारिता विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी संस्थाऍ हैं । वर्तमान में जिले में 53 कृषि साख सहकारी संस्थाओं में तीन सदस्यों की सलाहकार समिति गठित की गई है, जिसकी जानकारी संबंधित संस्थाओं में संद्यारित है ।

02. सहकारिता विभाग के अन्तर्गत कांउॅन्सिलिंग बोर्ड समिति या अन्य कोई व्यवस्था जो दो दो से अधिक सदस्यों से बनी है तथा आम जनता के लिये खुली हो, नही है ।

बिन्दु कमांक— 09 :—

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियो की डायरेक्ट्री :—

— (परिशिष्ठ— अ — संलग्न है)

कमशः8

बिन्दु कमांक—10 :—

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह प्राप्त की जानेवाली उपलब्धी :—

विभाग अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह प्राप्त की जानेवाली कुल उपलब्धियों की जानकारी (**परिशिष्ठ —स** में संलग्न है)

बिन्दु कमांक—11 :—

विभिन्न एजेंन्सियों को दिये गये बजट खर्च करने की प्रकिया व उस पर प्रतिवेदन करने की प्रकिया :—

उक्त प्रकिया मुख्यालय स्तर से संपादित की जाती है ।

बिन्दु कमांक—12 :—

अनुदान कार्यकमों के कियान्वयन की प्रकिया एंव हितग्राहियों की सूचीः— निरंक

बिन्दु कमांक—13 :—

ऐसे लोगों की सूची जिन्हे परमिट,लाईसेन्स, छूट या अनुमति दी गई हो तो :—

सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं में किसी भी प्रकार का परमिट, लाईसेन्स छूट या अनुमति नहीं दी गई है ।

बिन्दु कमांक—14:—

उक्त सर्वसूचना को इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध कराना :—

सहकारिता विभाग से संबंधित जन सूचना संबंधी समस्त जानकारियों की सी0डी0 संलग्न है ।

बिन्दु कमांक—15 :—

जनता द्वारा सूचना मांगने के लिये उपलब्ध सुविधाओं यथा इन्टरनेट, वाचनालय या अन्य व्यवस्था जो जनता के लिये उपलब्ध हो का कथन :—

विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में जनता द्वारा सूचना मांगने के लिये उपलब्ध सुविधाओं में इन्टरनेट एंव वाचनालय नहीं है । जनता द्वारा सूचना मांगे जाने पर उक्त सर्वसूचना की प्रतियॉ उपलब्ध करायी जा सकती है ।

कमश—09

बिन्दु कमांक—16 :—

जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण :—

कार्यालय में नियुक्त जन सूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी से संबंधित **परिशिष्ठ–ई** संलग्न है

बिन्दु कमांक– 17 :–

सरकार द्वारा प्रावधानित की गई अन्य कोई सूचना :–

राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग हेत वर्तमान में किसी भी प्रकार की सूचना दिये जाने संबंधी निर्देश प्रसारित नहीं है ।

प्र0उप पंजीयक,
सहकारी संस्थाएँ,जिला–धमतरी,
छत्तीसगढ़

परिशिष्ठ –"अ"

बिन्दु कमांक–02 :–

जिले में स्वीकृत पदों की संख्या सूची एंव वेतनमान :–

कमांक	कार्यालय का नाम	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	लेखा शीर्ष	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07

01.	उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला धमतरी छ0ग0	01. उप पंजीयक	10000–325–15200.	01	मांग संख्या 17(001)निर्दे ान और प्र ासन (123 अधिक्षण) (आयोजनेत्तर)	–
		02. व.स.नि.	5500–175–9000.	03	–	–
		03. स.वि.अ..	4500–125–7000.	04	–	सभी वि.ख. के लिये एक–एक पद
		04. सह. निरीक्षक	4500–125–7000.	02	–	–
		05. उप अंकेक्षक	4000–125–6000.	01	–	–
		06. सहायक ग्रेड–01	4500–125–7000.	01	–	–
		07. सहायक ग्रेड–02	4000–100–6000	01	–	–
		08. सहायक ग्रेड–03	3050–75–3950–80–4590	02	–	–
		09. भृत्य	2550–55–2660–60–3200	03	–	–
			योग :–	**18**	–	–

प्र0उप पंजीयक,
सहकारी संस्थाएँ,जिला–धमतरी,
छत्तीसगढ़

परिशिष्ठ–"अ"

बिन्दु कमांक–02 :–

जिले में स्वीकृत पदों की संख्या सूची एंव वेतनमान :–

क्रमांक	कार्यालय का नाम	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	लेखा ीर्श	रिमार्क
01	02	03	04	05	06	07
01.	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाऍ,(अंके) जिला धमतरी छ0ग0	01. सहायक पंजीयक	8000—275—13500.	01	मांग संख्या 17(101)सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा (359)आडिटबोर्ड (आयोजनेत्तर)	—
		02. अंके.अधिकारी	6500—200—10500.	01	—	—
		03. व.स.नि..	5500—175—9000.	02	—	
		04. सह. निरीक्षक	4500—125—7000.	07	—	—
		05. उप अंकेक्षक	4000—125—6000.	06	—	—
		06. सहायक ग्रेड—02	4000—100—6000	01	—	—
		07. सहायक ग्रेड—03	3050—75—3950—80—4590	01	—	—
		08. भृत्य	2550—55—2660—60—3200.	02	—	—
			योग :—	**21**	**—**	**—**

प्र0उप पंजीयक,
सहकारी संस्थाऍ,जिला—धमतरी,
छत्तीसगढ़

परिशिष्ठ—"अ"

बिन्दु क्रमांक—09 :—कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों एंव कर्मचारियों की डायरेक्ट्री:—
उप पंजीयक, सहकारी संस्थाऍ, जिला—धमतरी :—

क्रमांक	नाम	पद	रैंक
01.	श्री बी0एल0 कुंजाम	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	तृतीय श्रेणी कार्यपालि
02.	,, के0आर0 साहू	–,,–	–,,–
03.	,, एस0एल0 दुग्गे	–,,–	–,,–
04.	,, डी0डी0 अम्बाडे	सहकारी निरीक्षक	–,,–
05.	,, एल0बी0 शर्मा	–,,–	–,,–
06.	,, के0आर0 निर्मलकर	सह0विस्तार अधिकारी	–,,–
07.	,, ए0के0 अग्निहोत्री	–,,–	–,,–
08.	,, जी0डी0साहा	–,,–	–,,–
09.	,, श्री राम साहू	सहायक ग्रेड–03	तृतीय श्रेणी
10.	,, एन0के0 साहू	–,,–	–,,–
11.	,, गजराज सिंह ध्रुव	भृत्य	चतुर्थ
12.	श्रीमति भोजेश्वरी	–,,–	

प्र0उप पंजीयक,
सहकारी संस्थाएँ,जिला–धमतरी,
छत्तीसगढ़

परिशिष्ठ–''अ''

बिन्दु क्रमांक–09 :–कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों एंव कर्मचारियों की डायरेक्ट्रीः–

सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ (अंकेक्षण) जिला–धमतरी छ0ग0

क्रमांक	नाम	पद	रैंक
01.	श्री एल0एल0 बृन्झ	सहायक पंजीयक	द्वितीय श्रेणी
02.	,, जी0आर0 टिकाम	अंकेक्षण अधिकारी	तृतीय श्रेणी
03.	,, पी0के0 सिन्हा	व.स.नि.	–,,–
04.	,, के0आर0 रावटे	–,,–	–,,–
05.	,, सी0पी0ठाकुर	सहकारी निरीक्षक	–,,–
06.	,, विनय वर्मा	–,,–	–,,–
07.	,, एस0के0वैद्य	–,,–	–,,–
08.	,, गोपाल वासनिक	–,,–	–,,–
09.	,, एस0के0पाण्डेय	–,,–	–,,–
10.	,, के0एल0कुर्रे	सहायक ग्रेड–02	–,,–
11.	,, लल्लूराम यादव	भृत्य	चतुर्थ

प्र0उप पंजीयक,
सहकारी संस्थाएँ,जिला–धमतरी,
छत्तीसगढ़

परिशिष्ठ–"ब"

बिन्दु क्रमांक–06 :–

कार्यालय में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संधारित नस्तियों/अभिलेखों का विवरण :–

01. सामान्य फाईल एंव नस्ती

02. विधानसभा फाईल एंव नस्ती
03. विपणन कक्ष फाईल एंव नस्ती
04. असाख समितियों की फाईल एंव नस्ती
05. वनोपज समितियों की फाईल एंव नस्ती
06. वसूली अधिकारी की फाईल एंव नस्ती
07. गृह निर्माण संबंधी फाईल एंव नस्ती
08. निर्वाचन फाईल एंव नस्ती
09. सांख्यिकी फाईल एंव नस्ती
10. शिकायत फाईल एंव नस्ती
11. साख फाईल एंव नस्ती
12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली एंव नस्ती
13. स्थापना फाईल एंव नस्ती
14. लेखा कक्ष फाईल एंव नस्ती
15. क्षतिपूर्ति फाईल एंव नस्ती
16. योजना फाईल एंव नस्ती
17. पंजीयन फाईल एंव नस्ती
18. विधि फाईल एंव नस्ती
19. आवक जावक फाईल
20. आवार्ड फाईल (रजिस्टर)
21. अंकेक्षण कक्ष की फाईल (आडिट नोट)
22. आडिट आपत्तियों के निराकरण संबंधी फाईल
23. अंकेक्षण आंबटन एंव प्रगति नस्ती
24. अंकेक्षण भ्गुल्क नस्ती
25. यात्रा देयक नस्ती.

प्र0उप पंजीयक,
सहकारी संस्थाएँ,जिला–धमतरी,
छत्तीसगढ़

परिशिष्ठ–"ई"

बिन्दु कमांक–16 :–

जन सूचना अधिकारी का नाम/पदनाम/ अन्य विवरण :–

कमांक	नाम	पद	कार्यालय का नाम	पद

01.	श्री एल0एल0बृन्झ	सहायक पंजीयक धमतरी	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएॅ,(अंके) धमतरी	जन सूचना अधिकारी
02.	श्री के0आर0रावटे	व0सहकारी निरीक्षक	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएॅ,(अंके) धमतरी	सहायक जन सूचना अधिकारी

प्र0उप पंजीयक,
सहकारी संस्थाएॅ,जिला–धमतरी,
छत्तीसगढ़